उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 140/2021

तारीख दायरा :—20.10.2021

उनवान

1. प्रदीप मेहता पुत्र प्रभूलाल मेहता जाति किराड,
2. सुरेश मेहता पुत्र प्रभूलाल मेहता जाति किराड निवासीगण म0न0 बी 179 तलवण्डी कोटा जिला कोटा राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. नन्नू पुत्र रमजानी जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
2. इरफान पुत्र अब्दुल जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
3. कनीजा बेवा अब्दुल जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
4. रसूल पुत्र ईदा जाति फकीर निवासीग्राम डाबरी खुर्द,
5. कजोड पुत्र ईदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरी खुर्द,
6. हनीफ पुत्र ईदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
7. शकूर पुत्र महमूदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
8. मुस्तकीम पुत्र महमूदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
9. कनीजा पुत्री महमूदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
10. हसीना पुत्री महमूदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
11. निजामुद्दीन पुत्र रोशन शाह जाति फकीर निवासी ग्राम रावठा उपतहसील मण्डाना जिला कोटा
12. जाकिर पुत्र रोशन शाह जाति फकीर निवासी ग्राम रावठा उपतहसील मण्डाना जिला कोटा।
13. अल्ताफ पुत्र रोशन शाह जाति फकीर निवासी ग्राम रावठा उपतहसील मण्डाना जिला कोटा।
14. नूर बानो पुत्री रोशन शाह जाति फकीर निवासी ग्राम रावठा उपतहसील मण्डाना जिला कोटा।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

15. हाजरा पुत्री जुम्मा शाह जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द।
16. जेबुन पुत्री रमजानी जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द।
17. सलमा पुत्री रमजानी जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द।
18. ईस्लाम पुत्र अब्दुल जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द।
19. कलाम पुत्र अब्दुल जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द तहसील सांगोद।
20. रमजानी पुत्र पीरू शाह जाति फकीर निवासी ग्राम सूमर तहसील खानपुर।
21. बफाती पुत्र पीरूशाह जाति फकीर निवासीग्राम सूमर तहसील खानपुर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।
23. हीना पुत्री अब्दुल उर्फ अब्दुल कय्यूम जाति फकीर,
24. परवीन पुत्री अब्दुल उर्फ अब्दुल कय्यूम जाति फकीर निवसीगण ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा।
25. पुष्पदयाल पुत्र छीतरलाल जाति धाकड निवासीग्राम डाबरीखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा।
26. मोहम्मद अरबाज पुत्र मोहम्मद जहीर जाति सींगीवाला निवासी सांगोद।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादीगण) — दिनांक :— 11.02.2023

श्री एकतरफा (प्रतिवादी सं.1 ता 21 व 23 ता 26)

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते व प्रथक–प्रथक कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लक्ष्मीपुरा में खाता स0 नई 130 नई के खसरा न0 84 की 2.54 हैक्टर आराजी स्थित है तथा इसी के साथ माल ग्राम डाबरीखुर्द में खाता स0 नई 235 के खसरा न0 670 की 0.05 हैक्टर,

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

खसरा न0 671 की 0.05 हैक्टर, खसरा न0 715 की 0.03 हैक्टर, खसरा न0 716 की 0.08 हैक्टर, खसरा न0 720 की 0.78 हैक्टर, खसरा न0 721 की 0.05 हैक्टर, खसरा न0 764 की 2.16 हैक्टर, खसरा न0 83 की 0.84 हैक्टर कुल किता 8 की कुल 4.04 हैक्टर आराजी स्थित है, साथ ही खाता स0 नई 234 के खसरा न0 511 की 0.28 हैक्टर, खसरा न0 514 की 0.06 हैक्टर, खसरा न0 636 की 1.51 हैक्टर कुल किता 3 की 1.85 हैक्टर आराजी स्थित है, साथ ही माल ग्राम डाबरीखुर्द में खाता स0 नई 88 के खसरा न0 625 की 0.33 हैक्टर, खसरा न0 626 की 0.40 हैक्टर, खसरा न0 647 की 0.32 हैक्टर कुल किता 3 की 1.05 हैक्टर आराजीयात स्थित है। उन्होने आगे कथन किया कि उनके द्वारा स्व0 हुसैन के वारिसान से उनके हिस्से की आराजी क्रय की गई है, जिनके बीच मे पूर्व से ही मौके पर बंटवारा हो रहा है। उक्त आराजी के बाबत माननीय न्यायालय में पूर्व में एक वाद स0 42/2017 प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें समस्त खातेदारान का बंटवारा अंकित करते हुए प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त वाद पत्र के अनुसार प्रस्तुत बंटवारे के मुताबिक वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में माल ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा न0 84 की 2.54 हैक्टर व माल ग्राम डाबरीखुर्द की खसरा न0 671 की 0.05 हैक्टर आराजी बंटवारे अनुसार आयी है और वादीगण द्वारा आराजी क्रय करने के बाद उक्त खसरा नम्बर पर ही अपना कब्जा प्राप्त करके काश्त किया जा रहा है। उन्होंने आगे कथन किया कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड, जमाबन्दी विक्रेतागण से आराजी हिस्सा क्रय किया था जो कि स्व0 हुसैन के वारिसान फजलुद्दीन, जफर, जमालुद्दीन, कमरूद्दीन, मुस्तकीम, घींसी तथा सुबराती बेवा हुसैन के खाते दर्ज थी। वादीगण द्वारा खरीदशुदा भूमि राजस्व रेकार्ड में उनके नाम दर्ज हो चुकी है जो कि वर्तमान मे संयुक्त रूप से दर्ज है। वादीगण का कब्जा काश्त ग्राम लक्ष्मीपुरा स्थित खसरा न0 84 की 2.54 हैक्टर व ग्राम डाबरीखुर्द तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 671 की 0.05 हैक्टर पर है, जिस पर वे शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे हैं, परन्तु राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजी संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण वादीगण को अपनी हिस्सा आराजी में विकास कार्य करवाने मे परेशानी होती है। उक्त सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से दिनांक 5.7.2021 को सहमति से विभाजन करवाने को कहा, तो उनके द्वारा विभाजन में सहयोग करने से मना कर दिया गया। इसलिए वाद पत्र बाबत विभाजन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, वादीगण चाहते हैं कि मुताबिक कब्जे काश्त उनके द्वारा खरीदशुदा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

भूमि जो कि राजस्व रेकार्ड में उनके नाम से दर्ज है, का विभाजन कर उक्त भूमि को वादीगण के खाते प्रथक से दर्ज कर दिया जावे।

उक्त आशय का दावा पेश होने के उपरान्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 21 की तलबी हो चुकी है, बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित होने की वजह से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। दौराने वाद वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी क्रम 23 ता 26 को सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर प्रतिवादी क्रम 23 ता 26 को पक्षकार बनाया जाकर उनकी तलबी की गई, जो कि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर प्रतिवादी क्रम 23 ता 26 के विरूद्व भी एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। दौराने वाद वादीगण की ओर से साक्ष्य पीडब्ल्यू 1 ता पीडब्ल्य 6 लेखबद्व की गई तथा पत्रावली को बहस अंतिम मे नियत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 22 फॉर्मल पक्षकार है।

बहस वादीगण सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य जो भी प्रस्तुत की गई वह न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। उसका अवलोकन करने पर यह पाया कि वादीगण द्वारा खरीदशुदा भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में उनके खाते दर्ज है तथा पत्रावली पर जो साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है, उससे यह भली प्रकार साबित है कि वादीगण का कब्जा ग्राम लक्ष्मीपुरा स्थित खसरा न0 84 की 2.54 हैक्टर भूमि पर है। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं की गई है, बल्कि वे न्यायालय द्वारा सम्मन भेजे जाने के उपरान्त भी न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए है। पत्रावली में उपलब्ध समस्त प्रकार के साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि वादीगण ने विक्रय विलेख के द्वारा जिस भूमि को क्रय किया है, वह राजस्व रेकार्ड में उनके नाम से दर्ज है तथा दस्तावेजी साक्ष्य बयान आदि से भी यह प्रमाणित है कि वादीगण का कब्जा ग्राम लक्ष्मीपुरा स्थित खसरा न0 84 की 2.54 हैक्टर भूमि पर है, परन्तु वादीगण के द्वारा खरीदशुदा भूमि जो कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, के मुताबिक वादीगण का खरीदशुदा हिस्सा 2.499 हैक्टर बनता है, जबकि वादीगण खसरा न0 84 की 2.54 हैक्टर भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि नियम विरूद्व है। वादीगण उनके द्वारा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

खरीदशुदा भूमि 2.499 हैक्टर तक ही अपना दावा कर सकते हैं तथा उक्त हद तक वादीगण का वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सांगोद को विभाजन प्रस्ताव रेवेन्यु नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीदार सांगोद द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। दावा वादीगण विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

ग्राम लक्ष्मीपुरा स्थित खसरा न0 84 की 2.54 हैक्टर भूमि में से 2.49 हैक्टर आराजी में निम्न प्रकार से पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

क्र.स.	ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा
1	लक्ष्मीपुरा	प्रदीप, सुरेश पुत्रान प्रभुलाल जाति किराड	84 उत्तर दिशा	2.49 है.

क्र.स.	ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा
1	लक्ष्मीपुरा	नन्नू पुत्र रमजानी जाति फकीर हिस्सा 1/15, इरफान पुत्र अब्दुल जाति फकीर हिस्सा 1/60, कनीजा बेवा अब्दुल जाति फकीर हिस्सा 1/75, रसूल पुत्र ईदा जाति फकीर हिस्सा 4/45, कजोड पुत्र ईदा जाति फकीर हिस्सा 4/45, हनीफ पुत्र ईदा जाति फकीर हिस्सा 4/45, शकूर पुत्र महमूदा जाति फकीर हिस्सा 1/15, मुस्तकीम पुत्र महमूदा जाति फकीर हिस्सा 1/15, कनीजा पुत्री महमूदा जाति फकीर हिस्सा 1/15, हसीना पुत्री महमूदा जाति फकीर हिस्सा 1/15, निजामुद्दीन पुत्र रोशन शाह	84 दक्षिण दिशा	0.05 है.

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

		जाति फकीर हिस्सा 1/60, जाकिर पुत्र रोशन शाह जाति फकीर हिस्सा 1/60, अल्ताफ पुत्र रोशन शाह जाति फकीर हिस्सा 1/60, नूर बानो पुत्री रोशन शाह जाति फकीर हिस्सा 1/60, हाजरा पुत्री जुम्मा शाह जाति फकीर हिस्सा 2/25, जेबुन पुत्री रमजानी जाति फकीर हिस्सा 2/75, सलमा पुत्री रमजानी जाति फकीर हिस्सा 2/75, ईस्लाम पुत्र अब्दुल जाति फकीर हिस्सा 2/75, कलाम पुत्र अब्दुल जाति फकीर हिस्सा 2/75, नसीरा पुत्री जुम्मा जाति फकीर हिस्सा 1/75, हीना पुत्री अब्दुल उर्फ अब्दुल कयूम जाति फकीर हिस्सा 1/75, परवीन पुत्री अब्दुल उर्फ अब्दुल कयूम जाति फकीर हिस्सा 1/75, करीमन पत्नि महमूदा जाति फकीर हिस्सा 1/15		

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार खाता विभाजन करने के साथ राज लगान का अंकन पृथक से किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(राजेश डागा)
सांगोद, जिला- कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद, जिला- कोटा

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 140 / 2021

तारीख दायरा :–20.10.2021

उनवान

1. प्रदीप मेहता पुत्र प्रभूलाल मेहता जाति किराड,
2. सुरेश मेहता पुत्र प्रभूलाल मेहता जाति किराड निवासीगण म0न0 बी 179 तलवण्डी कोटा जिला कोटा राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. नन्नू पुत्र रमजानी जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
2. इरफान पुत्र अब्दुल जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
3. कनीजा बेवा अब्दुल जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
4. रसूल पुत्र ईदा जाति फकीर निवासीग्राम डाबरी खुर्द,
5. कजोड पुत्र ईदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरी खुर्द,
6. हनीफ पुत्र ईदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
7. शकूर पुत्र महमूदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
8. मुस्तकीम पुत्र महमूदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
9. कनीजा पुत्री महमूदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
10. हसीना पुत्री महमूदा जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द,
11. निजामुद्दीन पुत्र रोशन शाह जाति फकीर निवासी ग्राम रावठा उपतहसील मण्डाना जिला कोटा
12. जाकिर पुत्र रोशन शाह जाति फकीर निवासी ग्राम रावठा उपतहसील मण्डाना जिला कोटा।
13. अल्ताफ पुत्र रोशन शाह जाति फकीर निवासी ग्राम रावठा उपतहसील मण्डाना जिला कोटा।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

14. नूर बानो पुत्री रोशन शाह जाति फकीर निवासी ग्राम रावठा उपतहसील मण्डाना जिला कोटा।

15. हाजरा पुत्री जुम्मा शाह जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द।

16. जेबुन पुत्री रमजानी जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द।

17. सलमा पुत्री रमजानी जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द।

18. ईस्लाम पुत्र अब्दुल जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द।

19. कलाम पुत्र अब्दुल जाति फकीर निवासी ग्राम डाबरीखुर्द तहसील सांगोद।

20. रमजानी पुत्र पीरू शाह जाति फकीर निवासी ग्राम सूनर तहसील खानपुर।

21. बफाती पुत्र पीरूशाह जाति फकीर निवासीग्राम सूनर तहसील खानपुर।

22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

23. हीना पुत्री अब्दुल उर्फ अब्दुल कयूम जाति फकीर,

24. परवीन पुत्री अब्दुल उर्फ अब्दुल कयूम जाति फकीर निवसीगण ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा।

25. पुष्पदयाल पुत्र छीतरलाल जाति धाकड निवासीग्राम डाबरीखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा।

26. मोहम्मद अरबाज पुत्र मोहम्मद जहीर जाति सींगीवाला निवासी सांगोद।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादीगण) दिनांक :— 11.02.2023

श्री एकतरफा (प्रतिवादी सं.1 ता 21 व 23 ता 26)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अशोक कुमार जैन वादीगण मिन जानिब मुदई रूबरू श्री .... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि —

ग्राम लक्ष्मीपुरा स्थित खसरा न0 84 की 2.54 हैक्टर भूमि में से 2.49 हैक्टर आराजी में निम्न प्रकार से पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है —

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

क्र.स.	ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा
1	लक्ष्मीपुरा	प्रदीप, सुरेश पुत्रान प्रभुलाल जाति किराड	84 उत्तर दिशा	2.49 है.

क्र.स.	ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा
1	लक्ष्मीपुरा	नन्नू पुत्र रमजानी जाति फकीर हिस्सा 1/15, इरफान पुत्र अब्दुल जाति फकीर हिस्सा 1/60, कनीजा बेवा अब्दुल जाति फकीर हिस्सा 1/75, रसूल पुत्र ईदा जाति फकीर हिस्सा 4/45, कजोड पुत्र ईदा जाति फकीर हिस्सा 4/45, हनीफ पुत्र ईदा जाति फकीर हिस्सा 4/45, शकूर पुत्र महमूदा जाति फकीर हिस्सा 1/15, मुस्तकीम पुत्र महमूदा जाति फकीर हिस्सा 1/15, कनीजा पुत्री महमूदा जाति फकीर हिस्सा 1/15, हसीना पुत्री महमूदा जाति फकीर हिस्सा 1/15, निजामुद्दीन पुत्र रोशन शाह जाति फकीर हिस्सा 1/60, जाकिर पुत्र रोशन शाह जाति फकीर हिस्सा 1/60, अल्ताफ पुत्र रोशन शाह जाति फकीर हिस्सा 1/60, नूर बानो पुत्री रोशन शाह जाति फकीर हिस्सा 1/60, हाजरा पुत्री जुम्मा शाह जाति फकीर हिस्सा 2/25, जेबुन पुत्री रमजानी जाति फकीर हिस्सा 2/75, सलमा पुत्री रमजानी जाति फकीर हिस्सा	84 दक्षिण दिशा	0.05 है.

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

		2/75, ईस्लाम पुत्र अब्दुल जाति फकीर हिस्सा 2/75, कलाम पुत्र अब्दुल जाति फकीर हिस्सा 2/75, नसीरा पुत्री जुम्मा जाति फकीर हिस्सा 1/75, हीना पुत्री अब्दुल उर्फ अब्दुल कयूम जाति फकीर हिस्सा 1/75, परवीन पुत्री अब्दुल उर्फ अब्दुल कयूम जाति फकीर हिस्सा 1/75, करीमन पत्नि महमूदा जाति फकीर हिस्सा 1/15		

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार खाता विभाजन करने के साथ राज लगान का अंकन पृथक से किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X . खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2023 को जारी की गई।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (...एस0)
सांगोद, जिला ...कारी
सांगोद

मोहर ....

मुद्दई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला कोटा